भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 682
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि की वृद्धि दर

682. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत पाँच वर्षों में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों जिसमें फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी सहित वर्तमान वृद्धि दर का आकलन किया है और यदि हां, तो लक्षित विकास दरों के साथ तुलना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों जैसे किसान आय, इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तनशीलता, सिंचाई कवरेज, ऋण तक पहुँच और बाजार संबंध की जांच की है और यदि हाँ, तो इस आकलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का सतत कृषि वृद्धि को तेज करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु अतिरिक्त नीति उपाय लागू करने अथवा मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2024-25 के दौरान, जीवीए के अनंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र के जीवीए में 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान (वर्तमान कीमतों पर) फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जीवीए की प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25(पीई)
वर्तमान कीमतों पर	10.0	10.6	8.5	9.6	10.4

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 (वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक),
पीई: अनंतिम अनुमान

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3577.32 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 में प्राप्त 3322.98 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खाद्यान्न उत्पादन से 7.65% अर्थात 254.34 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

(ख) और (ग): कृषि वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों, जिनमें किसानों की आय, इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तनशीलता, सिंचाई कवरेज, ऋण तक पहुंच और बाजार संपर्क शामिल हैं, का परीक्षण/मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जो समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न अध्ययनों, अधिकारियों द्वारा क्षेत्र स्तरीय दौरों और उच्च स्तरीय आवधिक बैठकों/समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत कार्यनीति की पहचान की गई है:-

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाना
(ii) उत्पादन लागत घटाना
(iii) किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करना।
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसल उपरांत मूल्यवर्धन विकसित करना
(vi) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय रूप से 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है।

देश में किसानों के कल्याण और आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न नीतियां, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करना और आय सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं कृषि के सभी पहलुओं को शामिल करती हैं, जिनमें कृषि आय, इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तनशीलता, सिंचाई कवरेज, ऋण और बाजार संपर्क तक पहुंच, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

अनुबंध

किसानों के कल्याण के लिए उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करने और आय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – पामऑइल
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन
